दिनांक 29.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 292/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनॉकः 31.05.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी **श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार**, पुलिस महानिदेशक नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 लखनऊ, **श्री राकेश प्रकाश सिंह** पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर एवं **श्री मनी राम सिंह** पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के सेवानिवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 29.05.2026 को पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विदाई कार्यक्रम के अवसर पर **श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार**, पुलिस महानिदेशक नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 लखनऊ, **श्री राकेश प्रकाश सिंह** पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर एवं **श्री मनी राम सिंह** पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

विदाई कार्यक्रम के अवसर पर **श्री बी.के. सिंह,** पुलिस महानिदेशक सीआईडी/साइबर क्राइम तथा **श्री सुजीत पाण्डेय,** पुलिस महानिदेशक फायर सर्विसेज एवं **श्री अखिलेश निगम** पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी द्वारा ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बिताए गए महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय क्षणों को साझा किया साथ ही तीनो अधिकारियों के योगदान के लिए उनके सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद, स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की गई।

कार्यक्रम के दौरान **श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार**, पुलिस महानिदेशक नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 लखनऊ ने संबोधन में अपने सेवाकाल की यात्रा को साझा करते हुए विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन, सहकर्मियों के सहयोग तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की सराहना की।

श्री राकेश प्रकाश सिंह पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर ने अपने संबोधन में समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि पुलिस सेवा के दौरान अनेक चुनौतियों एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सहयोग से प्रत्येक चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान संभव हो सका।

उन्होने विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं विश्वास के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन सदैव ऊर्जा एवं आत्मविश्वास प्रदान करता रहा है।

श्री मनी राम सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ ने अपने संबोधन में समस्त वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस सेवा के दौरान अनुशासन, कर्तव्यपरायणता एवं समयबद्धता की महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई तथा उन्होने कहा कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के प्रेरणादायी नेतृत्व, कार्यशैली एवं संरक्षण से सदैव सीखने और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त हो रहे तीनो अधिकारियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा से सेवानिवृत्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है।

पुलिस सेवा के दौरान समयाभाव, दायित्वों एवं सेवा नियमों के कारण व्यक्तित्व के अनेक आयामों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता, किन्तु अब उन अनुभवों एवं क्षमताओं को व्यक्तिगत जीवन में नई दिशा देने का अवसर प्राप्त होगा। पिछले 30-32 वर्षों में अर्जित अनुभव, कार्यशैली एवं जीवन मूल्यों के आधार पर आगे का जीवन और अधिक समृद्ध एवं सार्थक बनेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा होना अपने आप में गौरव एवं जिम्मेदारी दोनों है। सेवा काल के दौरान प्रत्येक अधिकारियों ने अपने कार्य, सोच एवं अनुभवों से व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं। समय के साथ पुलिसिंग की चुनौतियों, कार्यप्रणाली एवं ज्ञान में जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, वे सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों एवं समर्पण का परिणाम हैं। यह सुधार एवं सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर इसमें योगदान देते रहेगे।

अंत में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों एवं उनके परिवारों के उज्ज्वल, स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएँ दी गई।

श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार जी का जन्म 28 मई 1966 को तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) में हुआ था। वर्ष 1994 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। वर्ष 2019 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, सीबीसीआईडी, विशेष सुरक्षा बल एवं अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं पर मार्च 2026 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत हुये, जहाँ से दिनांकः31.05.2026 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार जी निष्ठावान एवं कार्यकुशल अधिकारी रहे हैं। जिनका 31 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री एल0वी0 एन्टनी देव कुमार जी को वर्ष 2004-05 के लिये United Nations Medal (UNMIK) एवं गणतन्त्र दिवस 2012 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

श्री राकेश प्रकाश सिंह जी का जन्म 15 मई 1966 को जनपद आजमगढ़ में हुआ था। वर्ष 1991 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। वर्ष 2015 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त

राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2021 में ''पुलिस उप महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं पर वर्ष 2025 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुये, जहाँ से दिनांकः31.05.2026 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री राकेश प्रकाश सिंह जी कर्मठ, लगनशील एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। जिनका 35 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री राकेश प्रकाश सिंह जी को स्वतन्त्रता दिवस 2011 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।

श्री मनी राम सिंह जी का जन्म 05 मई 1966 को जनपद फैजाबाद में हुआ था। वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। वर्ष 2018 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2024 में ''पुलिस उप महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः 31.05.2026 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री मनी राम सिंह जी निष्ठावान, लगनशील एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। जिनका 32 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

RAJEEV KRISHNA

RAJEEV KRISHNA

RAJEEV KRISHNA
UTTAR PRADESH POLICE

दिनांक 29.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 293/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना जाजमऊ

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.05.2026 को थाना जाजमऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डोरमैट्री के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 मेराजुल हसन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जाजमऊ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जाजमऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 मेराजुल हसन निवासी कर्नलगंज थाना बजरिया कानपुर नगर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, सिक्के आदि**
- **चोरी के 01 लाख 65 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आटो बरामद**

दिनांक 29.05.2026 को थाना सूरजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1– प्रदीप उर्फ फौजी 2– शिव

कुमार उर्फ चूंचा 3–वीरेश उर्फ वीरा 4–सूरज उर्फ बंटा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, सिक्के आदि, चोरी के 01 लाख 65 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 आटो बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2026 को थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रदीप उर्फ फौजी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त शिव कुमार उर्फ चूंचा के विरूद्ध जनपद सम्भल, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त वीरेश उर्फ वीरा के विरूद्ध जनपद सम्भल, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त सूरज उर्फ बंटा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रदीप उर्फ फौजी निवासी ग्राम तुमरईघाट थाना रजपुरा जनपद सम्भल, हालपता डेल्टा–2 थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–शिव कुमार उर्फ चूंचा निवासी ग्राम तुमरईघाट थाना रजपुरा जनपद सम्भल, हालपता डेल्टा–2 थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–वीरेश उर्फ वीरा निवासी ग्राम धनीपुर थाना जुनवई जनपद सम्भल, हालपता ग्राम जुनपत थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–सूरज उर्फ बंटा निवासी ग्राम उटिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, हालपता ग्राम जैतपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, सिक्के आदि।

2—चोरी के 01 लाख 65 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 आटो।

जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 44 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.05.2026 को थाना मनकापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनवर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—ओम प्रकाश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—आशीष 3—प्रदीप सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 44 हजार रूपये नगद, 01 अवैध मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.05.2026 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओम प्रकाश निवासी ग्राम अमघटी थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

2–आशीष निवासी ग्राम अमघटी थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

3–प्रदीप निवासी देवरी खेड़ा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।

बरामदगी

1–लूट के 44 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद खीरी/थाना ईसानगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 07 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 सीएनजी आटो (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 29.05.2026 को थाना ईसानगर, थाना खमरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौरंगपुर के पास से चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रमाकान्त 2–हारून घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–संदीप 4–संजय 5–पियुष 6–धीरज सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 07 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 सीएनजी आटो (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना ईसानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ईसानगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त हारून के विरूद्ध जनपद सीतापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग एवं अभियुक्त रमाकान्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ईसानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमाकान्त निवासी ग्राम जालिमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

2–हारून निवासी जालिमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

3–संदीप निवासी जालिमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

4–संजय निवासी ग्राम कनकारी थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

5–पियुष निवासी हरिदासपुर थाना खमरिया जनपद खीरी।

6–धीरज निवासी ग्राम भिठौली थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 07 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 सीएनजी आटो (बिना नम्बर प्लेट)।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34

/498ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अमरनाथ 2–जगन्नाथ को आजीवन कारावास व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनय कुमार को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 8–8/6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नवाब सिंह 2–वीरपाल उर्फ नीलू को 8–8 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 लाख रूपये एवं 3–अभियुक्ता को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 05 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————